बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / **1653** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**06.05.2020**

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू वर्त्तमान लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य से अन्य राज्यों में जाने हेतु बस का पास निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 1563 / आ0प्र0 दिनांक–04.05.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा फँसे हुए प्रवासी मजदूर / छात्र / पर्यटक / तीर्थयात्री / अन्य के अन्तर्राज्यीय आवागमन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का प्रेषण किया गया था। उक्त **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** के कंडिका–B(5) में यह उल्लेखित है:–

"Consent of receiving states before the movement of stranded persons by public transport (Bus/ Train) and also by private buses is mandatory."

अतएव उक्त के आलोक में बिहार राज्य में फँसे अन्य राज्यों के लोगों को अपने राज्य जाने हेतु बस का पास निर्गत करने के लिए जिला पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी इसके लिए संबंधित राज्य के जिला पदाधिकारी से प्रस्थान के पूर्व आपसी समन्वय स्थापित कर लेंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / **1653** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**06.05.2020**

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / **1653** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**06.05.2020**

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव